संख्या-34/2016/308जेएल/22-3-16-800(28)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2016***

विषय- जिला कारागार, मुरादाबाद के बंदी उस्मान उल हक पुत्र स्व0 रिजवान उल हक, निवासी-पीपलसाना, थाना-भोजपुर, जिला-मुरादाबाद को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुरादाबाद के बंदी उस्मान उल हक पुत्र स्व0 रिजवान उल हक, निवासी-पीपलसाना, थाना-भोजपुर, जिला-मुरादाबाद को शासनादेश संख्या-1/2016/4325जेएल/22-3-15-800(28)/2015, दिनांक 01-01-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-34/2016/308जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in